

NHB/GS/PMAY-CLSS/OUT03504/2022
May 27, 2022

All Primary Lending Institutions
who have executed MOU with NHB for PMAY-CLSS

Madam/ Sir,

CLSS for EWS/LIG under PMAY-U

Please refer to our letter dated 26-05-2022, regarding the extended timelines for uploading of eligible claims on NHB's CLSS Portal by Primary Lending Institutions (PLIs).

2. In continuation of the said letter, it may be noted that PLIs may ensure to respond the queried cases, after their necessary due diligence on NHB's PMAY-CLSS Portal within the stipulated timeframe i.e. upto 30-06-2022.
3. To facilitate the above, necessary relaxations have been enabled in the CNA Portal. You are requested to upload claims within stipulated timelines as no further extension of timelines will be granted.

Yours faithfully,



(Sourav Seal)
Deputy General Manager

रा.आ.बैंक/जीएस/पीएमएवाई-सीएलएसएस /आउट03504/2022

27 मई, 2022

पीएमएवाई-सीएलएसएस हेतु रा.आ.बैंक के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करने वाली सभी प्राथमिक ऋणदाता संस्थाएं

महोदया/महदय,


पीएमएवाई-यू के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु सीएलएसएस

कृपया प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) द्वारा रा.आ.बैंक के सीएलएसएस पोर्टल पर पात्र दावों को अपलोड करने की विस्तारित समय-सीमा के संबंध में दिनांक 26-05-2022 के हमारे पत्र का संदर्भ लें।

2. उक्त पत्र के क्रम में यह नोट किया जाए कि प्राथमिक ऋणदाता संस्थान निर्धारित समय सीमा के भीतर अर्थात् 30-06-2022 तक रा.आ.बैंक के पीएमएवाई-सीएलएसएस पोर्टल पर आवश्यक समुचित सावाधानी बरत कर पूछे गए मामलों का जवाब देना सुनिश्चित कर सकती हैं।

3. उपरोक्त की सुविधा के लिए, सीएनए पोर्टल में आवश्यक छूट प्रदान की गई है। आपसे अनुरोध है कि दावों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपलोड करें क्योंकि समय-सीमा को आगे विस्तारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भवदीय,


(सौरव सील)

उप महाप्रबंधक